Title: Need to extend benefits of Loan Relief Scheme to the victims of Bhagalpur riots of 1989- Laid.

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ा 1984 के भीाण दंगे की तरह ही वर्ा 1989 में भागलपुर, बिहार सहित देश के विभिन्न भागों में अत्यंत ही हृदय विदारक दंगों ने हजारों पुरूा-महिलाओं और बच्चों को अकाल मृत्यु का शिकार बनाया और घर, मकान एवं अन्य समानों सहित करोड़ों रूपयों की क्षति हुयी है। इन दंगों के भयावह और व्यापक स्वरूप ने सभी शांति प्रेमी एवं मानवीय मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों को झकझोरने का काम किया था, किंतु 'भारत सरकार द्वारा दंगा पीड़ित बैंक ऋण उधारकर्ताओं के लिए ऋण राहत योजना" के अन्तर्गत भागलपुर के दंगा पीड़ितों को समुचित राहत प्रदान नहीं की गयी है और बैंकों द्वारा जो ऋण उन्हें उपलब्ध कराया गया है, उसे वसूलने के लिए सर्टिफिकेट एवं वारंट जारी कर दिया गया है।

अतएव मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि 1984 के दंगा पीड़ित उधारकर्ताओं के लिए "ऋण राहत योजना" के तर्ज पर 1989 के भागलपुर दंगा प्रभावितों को लाभ दिया जाये और भागलपुर के प्रभावित उधारकर्ताओं के विरूद्ध जारी वारंट वापस लिया जाये।